**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**

**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**APPEAL NO. 28 of 2024**

**IN THE MATTER OF**

**NTPC LIMITED**

**...APPLICANT**

**VERSUS**

**THE STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.**

**...RESPONDENT(s)**

**INDEX**


| S. NO. | PARTICULARS | PAGE NO. |
|---|---|---|
| 1. | AFFIDAVIT OF WILDLIFE WARDEN, ENDANGERED PROJECT, UTTAR PARDESH, STATE OF UTTAR PRADESH, LUCKNOW IN REGARDS TO THE APPEAL NO. 28/2021 **8-23** | **1-5** |
| 2. | THE CONDITIONS APPROVED IN THE 32ND MEETING OF THE STANDING COMMITTEE OF THE NBWL DATED 25.02.2015 ARE ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS**ANNEXURE R1.** | **6-7** |
| 3. | THE DEMAND NOTICES ISSUED DATED 20.03.2015, 06.04.2016, 08.10.2021, 18.10.2021, 16.11.2021, 03.11.2021, 08.04.2022, 28.07.2022, 26.03.2024 ARE ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE R2(COLLY).** | **8-23** |


**FILED THROUGH**

**DATE:25.09.2024**
**PLACE: NOIDA**


**BHANWAR PAL SINGH JADON**
**STANDING COUNSEL, STATE OF UP.**
**NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI**
**bhanwar09jadon@gmail.com**

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**

**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**APPEAL NO. 28/2021**

**IN THE MATTER OF**

**NTPC LIMITED**

**...APPLICANT**

**VERSUS**

**THE STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.**

**...RESPONDENT(s)**

**AFFIDAVIT OF WILDLIFE WARDEN, ENDANGERED PROJECT, UTTAR PARDESH, LUCKNOW, STATE OF UTTAR PRADESH IN REGARDS TO THE APPEAL NO. 28/2021**

I Abu Arshad Khan aged about 59 years, S/o Late Abu Baker Khan, Wildlife Warden, Endangered Project, Uttar Pardesh, Lucknow, State of Uttar Pradesh presently at Lucknow, do hereby most solemnly state and affirm as under;

1. I am the Wildlife Warden, Endangered Project, Uttar Pradesh, Lucknow and fully conversant with the facts and circumstances of the present case. I affirm that this Affidavit is being filed by the Deponent in regards to the Appeal No. 28/2021.

2. That the Appellant has filed the following appeal challenging the demand notice dated 26.03.2024 issued by the Department of Forests, U.P., directing the Appellant to deposit 2% of the project cost to the specified account based on the decision of the Respondent No.3 i.e. Standing Committee of the NBWL.

3. The Appellant had submitted their project for approval, during which the State Board for Wildlife outlined six specific conditions that needed to be met before granting approval. These conditions were subsequently forwarded for approval to the National Board for Wildlife, which were then approved. Among the conditions, one required the Appellant to

deposit 2% of the project cost into the designated account of Respondent No. 2.

4. Subsequent to the suggestion of conditions by the State Board for Wildlife, NBWL in the 32nd meeting of the Standing Committee dated 25.02.2015 approved the conditions put forward by the State Board for Wildlife. In Adherence to which the Appellant was due to make the payment of the 2% project cost since 25.02.2015 yet the payment is due till date and now is being appealed by the Appellant before the Hon'ble Tribunal after 9 years of time has passed.

   The Conditions approved in the 32nd meeting of the Standing Committee of the NBWLdated 25.02.2015are annexed herewith and marked as **ANNEXURE R1.**

5. That the National Board for Wildlife (NBWL)is the apex decision making body responsible for all wildlife matters, and is responsible for the promotion of wildlife conservation and the development of wildlife and forests. The Standing Committee of the board is authorised to regulate the land diversion within protected areas and Eco- Sensitive Zone. It is the responsibility of the board to examine the projects with objectivity and if some project has to work in the regulated lands, the Standing Committee of the board are authorised to impose costs as mitigating measures. NBWL strikes a balance between conservation and sustainable development.

6. In this regard, the NBWL derives legal authority from the Wildlife (Protection) Act, 1972, to Levy a fee as mitigation measures of those projects that may affect protected areas because Section 5C(1) of the Wildlife (Protection) Act vests the NBWL with authority to take necessary actions for conservation of wildlife and their habitats.

7. Furthermore, Article 21 of the Indian Constitution protects the life and personal liberty which also extends animals. There have been several Court judgements which have led to the establishment of our right to healthy environment and the measures to conserve it. NBWL is an organisation which protects the fundamental right of people by protecting and conserving the wildlife.

8. That the Appellant's Project at Rai Bareilly, UP is at the distance of 7.9 kms from the boundary of Samaspur Bird Sanctuary, whereas the Eco-Sensitive Zone boundary was 10 kms at the time i.e. 21.01.2015 when the 32nd Meeting of Standing Committee of NBWL was held. Consequently, the Standing Committee of NBWL gave their decision dated 25.02.2015 and permitted the Appellant to carry out their project subject to compliance of specific and general conditions given by the committee. One of the conditions specified by the Standing Committee of NBWL was the payment of 2% cost of the project as the project by the Appellant was under the Eco- Sensitive Zone. Adhering to all the conditions mentioned by the committee, the Appellant was permitted to carry out their project. However, the Appellant failed to adhere to the conditions specified by the committee.

9. The Appellant was instructed to notify the Deponent at the commencement of the project work. Despite that no notification was received by the Deponent from the Appellant regarding the same. In addition to notifying the Deponent of the commencement, the Appellant was also mandated to notify about the winding up of the project. However, the Appellant neglected to follow the conditions specified by the Respondent No. 3.

OATH COMMISSIONER
NOOR FATIMA
Civil Court Lucknow

10. In addition to that, the Appellant has atrociously failed to fulfil one of the specified conditions given by the Standing Committee of NBWL. The Appellant was asked to pay 2% of the project cost to the Deponent in the designated account. Nevertheless, the Appellant has not complied with the payment.

11. That for compliance of the condition, the Department of Forests, U.P. issued several demand notices to the Appellant yet the payment was not initiated. The demand notices issued by the department were disregarded by the Appellant. The Appellant has had years of time to comply with the demand notices issued however they were blatantly overlooked.

The demand notices issued dated 20.03.2015, 06.04.2016, 08.10.2021, 18.10.2021, 16.11.2021, 03.11.2021, 08.04.2022, 28.07.2022, 26.03.2024 are annexed herewith and marked as **ANNEXURE R2(Colly).**

12.That no information was provided by the Appellant for the winding up of their project. After inquiries were made by the Department of Forests, it was informed that the Appellant had completed the project in 2017. Even so the Appellant failed to make the payment of 2% of the project cost. Moreover, it is asserted by the Appellant that all the conditions were complied with wherein the Appellant has clearly failed to communicate about the commencement and termination of the project.

13.That in the reply of one of the demand notices dated 08.10.2021, the Appellant contended that as per the notification issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change dated 26 September, 2019, the project of the Appellant does not come under the Eco- Sensitive Zone (ESZ). To which it was made clear to the Appellant via notice dated 16.11.2021 that the notification came in effect in September, 2019 and the project of the Appellant was approved by the Respondent No. 3 in February, 2015.

14.Additionally, a proposal was made by the Appellant for amendment in the minutes of the 32nd meeting of the Standing Committee of the NBWL held on 21st January, 2015. Following which the proposal was then discussed in the 74th meeting of the Standing Committee held on 29th August, 2023. However after the discussions, the Standing Committee on 29th September, 2023 did not accept the request of the Appellant and action for violation of conditions by the Appellant was imposed by the Standing Committee.

COMMISSIONER
NOOR FATIMA
Civil Court, Lucknow

15.That it is clear from the aforementioned facts that the approval, commencement and conclusion of the project was done by the Appellant well before the issuance of the notification by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in 2019.

16.That the Appellant is trying to get out of bearing this expense with trivial arguments and conjectures.Furthermore, the Appellant is trying to waste the invaluable and precious time of the Hon'ble Tribunal.

17. Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

18. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

वन्य जीव प्रतिपालक
लुप्त प्राय परियोजना
उ०प्र०, लखनऊ

## VERIFICATION

Verified at Lucknow on this ____ day of August, 2024, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 18 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

वन्य जीव प्रतिपालक
लुप्त प्राय परियोजना
उ०प्र०, लखनऊ

OATH COMMISSIONER
NOOR FATIMA
Civil Court, Lucknow

Solemnly affirmed before me in office today

Abu Arshad Khan
Upendra Kumar
Adv

I identify the deponent/executant/surety
who has signed/put T.I. before me

**ANNEXURE R1**

(illegible handwriting)

F.No.6-209/2014 WL (32nd Meeting)
Government of India
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Wildlife Division
****

6th Floor, Vayu Wing
Indira Paryavaran Bhawan
Jor Bag Road, Aliganj
New Delhi-110003
Dated: 25.02.2015.

To
The Principal Secretary (Forests),
Department of Forests,
Government of Uttar Pradesh,
Secretariat, Lucknow-226001.

Sub: Minutes of the 32nd Meeting of Standing Committee of NBWL.

Sir,

During the 32nd Meeting of Standing Committee of NBWL held on 21st January 2015 under the Chairmanship of Hon'ble Minister of State (Independent Charge) for Environment, Forests and Climate Change, the following proposals pertaining to your State were considered. The relevant portion of the decision taken in respect of the proposals is reproduced below:

"1. *Clearance to expansion of existing coal based power project by adding one unit 500 MW under stage IV of NTPC Ltd Feroz Gandhi Unchahar, Uttar Pradesh. (within 10 kms from Samaspur bird Sanctuary)*

*The Member Secretary briefed the committee regarding proposal. He mentioned that the proposal is adding one unit of 500MW under stage –IV of NTPC Ltd and the existing plant, stages I,II & III of capacity 1050 MW (2 ×210MW +2 ×210 MW + 210 MW), located 7.9 km away from the Samaspur Bird Sanctuary.*

*Chief Wildlife Warden explained that application for Terms of Reference for EIA study for stage IV has been submitted to MoEF. SBWL recommended the proposal in its meeting held on 21st October 2013 with stipulated conditions:*

- *Ash water, effluent must be treated to avoid pollution.*
- *The effluent shall not be released in Pratapgarh Branch of Sahayak canal which is connected to Samaspur Bird Sanctuary.*
- *A greenbelt should be developed around the plant and outside Samaspur Bird Sanctuary at the project cost to abate air pollution. Planting site for this purpose shall be identified by concerned DFO/protected area manager.*
- *The user agency shall be responsible for any loss of flora/fauna in the surroundings.*
- *Any other condition prescribed by Chief Wildlife Warden from time to time in the interest of conservation, protection /development of forest /wildlife habitat.*

(handwritten signatures and notes) 2.3.15

*Contd....2*

*After discussions, the Standing Committee recommended the proposal subject to implementation of mitigation measures and the conditions stipulated by the CWLW and Environment Clearance obtained under E(P)A,1986 and EIA Notification 2006, for which an amount of 2% of the project cost shall be placed with the Chief Wild Life Warden by the user agency.*

2. ***Diversion of 0.1575 ha of forestland from Chambal Wildlife Sanctuary for laying of Optical Fiber Cable for mobile phone connectivity between Udimore to Chambal river on NH-92 Etawah Gwalior River, Uttar Pradesh by Bharti Airtel Ltd.***

*The Member Secretary briefed the Committee regarding the proposal. The Chief Wildlife Warden, Uttar Pradesh mentioned that the proposal involved use of 0.1575 ha. of forest land from Chambal River Sanctuary, for laying optical fibre cable for mobile connectivity along the existing NH-92. He said that the proposal was also recommended by the State Board for Wildlife.*

*After discussion and considering the fact that the optical fibre was being laid along the existing National Highway, the Standing Committee decided to recommend the proposal subject to the following mitigatory measures, as stipulated by the Chief Wildlife Warden:*

i. *User Agency will ensure that none of their employee/worker shall indulge into any kind of illegal activities. If this happens then user agency shall be held responsible.*
ii. *Necessary measures will be taken to negate the impact relating any environmental pollution/radioactive pollution as suggested by the Chief Wildlife Warden.*
iii. *The legal status of the land shall remain unchanged.*
iv. *In reference of U.P. Govt. order no.4862/14-2/2008 dated 12.11.2008, the use agency shall take up plantation on 20 km in three lines and maintain the green cover with the project cost. Planting site and species/ planting plan for this purpose will be indicated by Chief Wildlife Warden.*
v. *The forest land shall not be used for any other purpose other than that specified in the proposal.*
vi. *No labour camp shall be established in the sanctuary area.*
vii. *No work shall be allowed after sunset till sunrise.*
viii. *No tower shall be erected without legal permission"*

The above recommendation(s) are subject to the existing directives of Hon'ble Supreme Court and provisions of Forests (Conservation) Act, 1980.

Yours faithfully

R. Rajasekhar

**(Rajasekhar Ratti)**
**Scientist 'C'/Deputy Director (WL)**

**Copy to:**

1. The Chief Wildlife Warden, Government of Uttar Pradesh, 17, Rana Pratap Marg, Lucknow-226001.
2. The Addl.Pr.Chief Conservator of Forests, Ministry of Environment & Forests, Regional Office(CZ), Kendriya Bhandar, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226020, U.P.
3. The Joint Secretary, I.A. Division, MoEF & CC.
4. The Inspector General of Forests, FC Division, MoEF &CC.

R. Rajasekhar

**(Rajasekhar Ratti)**
**Scientist 'C'/Deputy Director (WL)**

संलग्नक-1

**ANNEXURE R2**

# कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या- 3259 / 20-11(एन0टी0पी0सी0) लखनऊः दिनांक, मार्च 20 ,2015

सेवा में,

उप महा प्रबन्धक (तकनीकी सेवायें)
एनटीपीसी लिमिटेड, फिरोज गांधी ऊँचाहार थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ऊँचाहार,
जनपद-रायबरेली-229 406 (उ0प्र0)।

विषयः- **जनपद रायबरेली में संरक्षित क्षेत्र समसापुर पक्षी विहार की सीमा से 10 कि0मी0 रेडियस दूरी के अन्तर्गत स्थित एनटीपीसी लि0 फिरोज गांधी थर्मल पावर प्लान्ट, ऊँचाहार परियोजना की क्षमता विस्तार के कम में 500 MW** की स्थापना हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर राष्ट्रीय वन्य जीव **बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 21 जनवरी, 2015 द्वारा अनुमोदन।**

सन्दर्भः- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की पत्रसंख्या- **F.N0-6-209/2014 WL (32वीं बैठक)** दिनांक 25.02.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की **32वीं बैठक**, दिनांक 21 जनवरी, 2015 में लिए गये निर्णय/बैठक का कार्यवृत्त, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की पत्र संख्या- **F.N0-6-209/2014 WL (32वीं बैठक)** दिनांक 25.02.2015 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है। कृपया परियोजना के सम्बन्ध में उक्त पत्र में उल्लिखित शर्तो के अनुपालनार्थ आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय,

(डा0 रूपक डे)
प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

<u>पत्र संख्या-3259/ उक्तदिनांकित।</u>

प्रतिलिपिः-वन संरक्षक, लुप्तप्रायः वन्य जीव परियोजना, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र (छाया प्रति संलग्न) का अवलोकन कर, परियोजना के सम्बन्ध में पत्र में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

<u>संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।</u>

(डा0 रूपक डे)
प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

9

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रसंख्या– /26–11.(NTPC). लखनऊः दिनांकः अप्रैल 06 ,2016

सेवा में,

उप महा प्रबन्धक (तकनीकी सेवायें),
एन.टी.पी.सी. लिमिटेड,
फिरोज गांधी ऊँचाहार थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ऊँचाहार,
जनपद–रायबरेली–229 406 (उ0प्र0)।

विषयः– जनपद रायबरेली में संरक्षित क्षेत्र समसपुर पक्षी विहार की सीमा से 10 कि0मी0 रेडियस दूरी के अन्तर्गत स्थित एनटीपीसी लि0 फिरोज गांधी थर्मल पावर प्लान्ट, ऊँचाहार परियोजना की क्षमता विस्तार के कम में 500 MW की स्थापना हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 21 जनवरी, 2015 द्वारा अनुमोदन के सम्बन्ध में।

संदर्भः– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की पत्रसंख्या–F.No.6-209/2014WL(32nd Meeting),दिनांक–25.02.2015 तथा इस कार्यालय की पत्रसंख्या 3259/26–11 (एन0टी0पी0सी), दिनांक 20.03.2015

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्य जीव डिवीजन), भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रसंख्या–F.No. 6-209/2014WL (32nd Meeting), दिनांक 25.02.2015 में इंगित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रसंख्या–3259/26–11(एन0टी0पी0सी), दिनांक 20.03.2015 से आपको संसूचित किया गया था। उक्त प्रकरण में लगभग एक वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी भारत सरकार के पत्र में इंगित शर्तो के अनुपालन के संदर्भ में कृत कार्यवाही/अनुपालन आख्या अभी तक आपके स्तर से अप्राप्त है।

भारत सरकार (MOEFCC) के पत्र दिनांक 25.02.2015 में इंगित निम्न शर्तो के अनुपालन की कार्यवाही आपके विभाग स्तर से किया जाना है। तदकम में परियोजना की अद्यतन स्थिति एवं अनुपालन आख्या/वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, वन संरक्षक, लुप्तप्रायः वन्य जीव परियोजना, उ0प्र0, लखनऊ के माध्यम से तत्काल प्रेषित करें, ताकि अनुपालन आख्या उ0प्र0 शासन एवं भारत सरकार को शीघ्र प्रेषित की जा सके।

- Ash water effluent must be treated to avoid pollution.
- The effluent shall not be released in pratapgarh Branch of Sahayak canal which is connected to Samaspur Bird Sanctuary.
- A greenbelt should be developed around the plant and outside Samaspur Bird Sanctuary at the project cost to abate air polution. Planting site for this purpose shall be identified by concerned DFO/protected area manager.
- The user agency shall be responsible for any loss of flora/ fauna in the surroundings.
- Any other condition prescribed by Chief Wildlife Warden from time to time in the interest of conservation protection/ development of forest/ wildlife habitat.

After discussions, the Standing Committee recommended the proposal subject to implementation of mitigation measures and the conditions stipulated by the CWLW and Environment Clearance obtained under E(P)A, 1986 and EIA Notification 2006, for which an amount of 2% of the project cost shall be placed with the Chief Wild Life Warden by the user agency.

T.C. WLW, AC, DM

C.F. 12/4/16

भवदीय,

(डा0 रूपक डे)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रसंख्या-2566/ . उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः वन संरक्षक, लुप्तप्रायः वन्य जीव परियोजना, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि परियोजना के संदर्भ में भारत सरकार (MOEFCC) के पत्र दिनांक 25.02.2015 में इंगित शर्तो के कम में अनुपालन आख्या/बचनबद्धता प्रमाण-पत्र User agency से प्राप्त कर, अविलम्ब इस कार्यालय को प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त शर्त संख्या-V के कम में वन्य जीवों के संरक्षण व उनके प्राकृतवास के विकास कार्यो के अनुरूप समुचित वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्ताव तथा परियोजना की लागत का 2% देय धनराशि User agency द्वारा कैम्पा मद में जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए, प्रकरण में कृत कार्यवाही/अद्यतन स्थिति से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। सुलभ संदर्भ हेतु भारत सरकार के उक्त पत्र की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।

(डा0 रूपक डे)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

## कार्यालय वन संरक्षक लुप्तप्राय परियोजना, उ0प्र0, लखनऊ

पत्र संख्या 182 / 8-5 (एन0टी0पी0सी0) दिनांक, लखनऊ, अप्रैल 13 2015.

प्रतिलिपि वन्य जीव प्रतिपालक, लुप्तप्राय परियोजना, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, समसपुर पक्षी विहार, रायबरेली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि मानचित्रकार एवं लेखा प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मानचित्रकार

(रेणु सिंह)
वन संरक्षक
लुप्तप्राय परियोजना, उ0प्र0,
लखनऊ।

E-mail ... in

# कार्यालय वन संरक्षक, लुप्तप्राय परियोजना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांक– 525 / 8-5 (NTPC) लखनऊ, दिनांक, अक्टूबर, 8, 2021

सेवा में,

उप महाप्रबन्धक (तकनीकी सेवाएं),
एन.टी.पी.सी. लिमिटेड,
फिरोज गाँधी ऊँचाहार थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट,
ऊँचाहार, जनपद–रायबरेली–229406 (उ0प्र0)।

विषयः जनपद रायबरेली में संरक्षित क्षेत्र समसपुर पक्षी विहार की सीमा से 10 कि0मी0 रेडियस दूरी के अन्तर्गत स्थित एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड फिरोज गाँधी थर्मल पॉवर प्लान्ट, ऊँचाहार परियोजना की क्षमता विस्तार के क्रम में 500 मेगावाट की स्थापना हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21 जनवरी, 2015 द्वारा अनुमोदन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय की पत्र संख्या–2566/26–11 (NTPC) दिनांक 06.04.2016, पत्र संख्या–2247/26–11 (NTPC) दिनांक 17.02.2017, पत्र संख्या–927/26–11 (NTPC) दिनांक 08.09.2017 एव इस कार्यालय की पत्र संख्या–506/7–4 (NTPC) दिनांक 15.09.2017

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्य जीव डिवीजन), भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–F.No.6-209/2014 WL-I (32nd Meeting) दिनांक 25.02.2015 में इंगित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय की पत्र संख्या–2566/26–11 (NTPC) दिनांक 06.04.2016, पत्र संख्या–2247/26–11 (NTPC) दिनांक 17.02.2017, पत्र संख्या–927/26–11 (NTPC) दिनांक 08.09.2017 व इस कार्यालय की पत्र संख्या–506/7–4 (NTPC) दिनांक 15.09.2017 से आपको संसूचित करते हुए अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।

उक्त प्रकरण में लगभग 05 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी भारत सरकार के पत्र में इंगित शर्तो के अनुपालन की कार्यवाही आपके विभाग स्तर से अपेक्षित है। तद्क्रम में परियोजना की अद्यतन स्थिति एवं अनुपालन आख्या/वचनबद्धता प्रमाण–पत्र तत्काल प्रेषित करें ताकि अनुपालन आख्या उ0प्र0 शासन एवं भारत सरकार को शीघ्र प्रेषित की जा सके। इसमें निम्न शर्तें लगायी गयी हैं, जिस पर आख्या अपेक्षित हैः–

- Ash water effulent must be treated to avoid pollution.
- The effluent shall not be released in pratapgarh branch of Sahayak Canal which is connected to Samaspur Bird Sanctuary.
- A greenbelt should be developed around the plant and outside Samasput Bird Sanctuary at the project cost to abate air pollution. Planting site for this purpose shall be identified by concerned DFO/Protected Area Manager.
- The user agency shall be responsible for any loss of flora/fauna in the surroundings.
- Any other condition prescribed by Chief Wildlife Warden from time to time in the interest of conservation protection/development of forest/Wildlife habitat.

After discussions, the Standing Committee recommended the proposal subject to implementation of mitigation measures and the conditions stipulated by the CWLW and Environment Clearance obtained under E(P)A, 1986 and EIA Notification 2006, for which an amount of 2% of the project cost shall be placed with the Chief Wildlife Warden by the user agency.

उपरोक्त से स्पष्ट है कि परियोजना के अनुमोदन हेतु लगाई गई शर्त कि पर्यावरणीय एवं वन्यजीव सम्बर्द्धन हेतु परियोजना लागत का 02 प्रतिशत धनराशि आपके द्वारा मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उ0प्र0, लखनऊ के खाते में जमा किया जाये, परन्तु उक्त धनराशि अभी तक जमा नहीं करायी गयी है।

2/–

अतः अनुरोध है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्य जीव डिवीजन), भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा लगायी गई शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन आख्या व प्रोजेक्ट लागत का 02 प्रतिशत मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उ0प्र0, लखनऊ के खाते में जमा करवाते हुए इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें ताकि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की प्रस्तावित बैठक में अनुपालन आख्या/वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जा सके।

**संलग्नक– उपरोक्तानुसार।**

भवदीय,

(मनोज कुमार सोनकर)
वन संरक्षक,
लुप्तप्राय परियोजना, उ0प्र0,
लखनऊ।

पत्रांक– 525 /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी, रायबरेली वन प्रभाग, रायबरेली को इस कार्यालय की पत्र संख्या–506/7–4 (NTPC) दिनांक 15.09.2017 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा इस आशय से प्रेषित किया गया था कि अपर महाप्रबन्धक (तकनीकी सेवा), एन0टी0पी0सी0 से सम्पर्क कर इंगित शर्त संख्या–(iii) के अनुसार वायु प्रदूषण कम करने लिये प्लान्ट एवं समसपुर पक्षी विहार के बाहर परियोजना लागत से एक ग्रीन बेल्ट विकसित किये जाने हेतु वृक्षारोपण क्षेत्र का चयन कर ग्रीन बेल्ट का मैप योजना एवं प्राक्कलन अनुमोदनार्थ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ महोदय को प्रेषित किया जाये। कृपया अद्यतन स्थिति से इस कार्यालय को शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें ताकि इस सम्बन्ध में समीक्षा हेतु राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की शीघ्र आहूत होने वाली बैठक को यथास्थिति से अवगत कराया जा सके।

प्रतिलिपि–वन्य जीव प्रतिपालक, लुप्तप्राय परियोजना, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रकरण में व्यक्तिगत रूचि लेते हुए आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि–क्षेत्रीय वन अधिकारी, समसपुर पक्षी विहार, सलोन, रायबरेली, आपको इस कार्यालय की पत्र संख्या–506/7–4 (NTPC) दिनांक 15.09.2017 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा निर्देशित किया गया था कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित अपर महाप्रबन्धक (तकनीकी सेवा), एन0टी0पी0सी0 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, रायबरेली वन प्रभाग, रायबरेली कार्यालय से वांछित कार्यवाही कराते हुए अद्यतन स्थिति से इस कार्यालय को तत्काल अवगत करायें। परन्तु अभी तक आप द्वारा अद्यतन स्थिति से इस कार्यालय को अवगत नही कराया गया है। सम्बन्धितो से सम्पर्क कर वांछित कार्यवाही कराते हुए अद्यतन स्थिति व अनुपालन आख्या से इस कार्यालय को तत्काल अवगत करायें।

(मनोज कुमार सोनकर)
वन संरक्षक,
लुप्तप्राय परियोजना, उ0प्र0,
लखनऊ।

# कार्यालय वन संरक्षक, लुप्तप्राय परियोजना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांक– 549 / 8-5 (N.T.PC)

सेवा में,

लखनऊ, दिनांक, अक्टूबर, 18 ,2021

उप महाप्रबन्धक (तकनीकी सेवाएं),
एन.टी.पी.सी. लिमिटेड,
फिरोज गाँधी ऊँचाहार थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट,
ऊँचाहार, जनपद–रायबरेली–229406 (उ0प्र0)।

विषयः जनपद रायबरेली में संरक्षित क्षेत्र समसपुर पक्षी विहार की सीमा से 10 कि0मी0 रेडियस दूरी के अन्तर्गत स्थित एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड फिरोज गाँधी थर्मल पॉवर प्लान्ट, ऊँचाहार परियोजना की क्षमता विस्तार के क्रम में 500 मेगावाट की स्थापना हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21 जनवरी, 2015 द्वारा अनुमोदन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय की पत्र संख्या–2566/26–11 (NTPC) दिनांक 06.04.2016, पत्र संख्या–2247/26–11 (NTPC) दिनांक 17.02.2017, पत्र संख्या–927/26–11 (NTPC) दिनांक 08.09.2017, इस कार्यालय की पत्र संख्या–506/7–4 (NTPC) दिनांक 15.09.2017 एवं 525/8–5 (NTPC) दिनांक 08.10.2021

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्य जीव डिवीजन), भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–F.No.6-209/2014 WL-I (32nd Meeting) दिनांक 25.02.2015 में इंगित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय की पत्र संख्या–2566/26–11 (NTPC) दिनांक 06.04.2016, पत्र संख्या–2247/26–11 (NTPC) दिनांक 17.02.2017, पत्र संख्या–927/26–11 (NTPC) दिनांक 08.09.2017 व इस कार्यालय की पत्र संख्या–506/7–4 (NTPC) दिनांक 15.09.2017 एवं पत्र संख्या–525/8–5 (NTPC) दिनांक 08.10.2021 से आपको संसूचित करते हुए अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।

उक्त प्रकरण में लगभग 05 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी भारत सरकार के पत्र में इंगित शर्तो के अनुपालन की कार्यवाही आपके विभाग स्तर से अपेक्षित है। तदक्रम में परियोजना की अद्यतन स्थिति एवं अनुपालन आख्या/वचनबद्धता प्रमाण–पत्र तत्काल प्रेषित करें ताकि अनुपालन आख्या उ0प्र0 शासन एवं भारत सरकार को शीघ्र प्रेषित की जा सके। इसमें निम्न शर्ते लगायी गयी हैं, जिस पर आख्या अपेक्षित हैः–

- Ash water effulent must be treated to avoid pollution.
- The effluent shall not be released in pratapgarh branch of Sahayak Canal which is connected to Samaspur Bird Sanctuary.
- A greenbelt should be developed around the plant and outside Samasput Bird Sanctuary at the project cost to abate air pollution. Planting site for this purpose shall be identified by concerned DFO/Protected Area Manager.
- The user agency shall be responsible for any loss of flora/fauna in the surroundings.
- Any other condition prescribed by Chief Wildlife Warden from time to time in the interest of conservation protection/development of forest/Wildlife habitat.

After discussions, the Standing Committee recommended the proposal subject to implementation of mitigation measures and the conditions stipulated by the CWLW and Environment Clearance obtained under E(P)A, 1986 and EIA Notification 2006, for which an amount of 2% of the project cost shall be placed with the Chief Wildlife Warden by the user agency.

उपरोक्त से स्पष्ट है कि परियोजना के अनुमोदन हेतु लगाई गई शर्त कि पर्यावरणीय एवं वन्यजीव सम्बर्द्धन हेतु परियोजना लागत का 02 प्रतिशत धनराशि आपके द्वारा मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उ0प्र0, लखनऊ के खाते में जमा किया जाये, परन्तु उक्त धनराशि अभी तक जमा नहीं करायी गयी है।

अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्य जीव डिवीजन), भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा लगायी गई शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन आख्या व प्रोजेक्ट लागत का 02 प्रतिशत मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उ0प्र0, लखनऊ के खाते में जमा करवाते हुए इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें ताकि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की प्रस्तावित बैठक में अनुपालन आख्या/वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जा सके। अनुपालन आख्या व धनराशि जमा करने के उपरान्त सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त होने पर ही कार्य करायें। इसमें अतिशीध्र रिपोर्ट भेजे अन्यथा विपरीत स्थिति के लिये आप जिम्मेदार होगें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सोनकर)
वन संरक्षक,
लुप्तप्राय परियोजना, उ0प्र0,
लखनऊ।

**पत्रांक– 549 /उक्तदिनांकित।**

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

प्रतिलिपि– महाप्रबन्धक,एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, फिरोज गॉधी ऊँचाहार थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, ऊँचाहार, जनपद – रायबरेली–229406 (उ0प्र0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी, रायबरेली वन प्रभाग, रायबरेली को इस कार्यालय की पत्र संख्या–506/7–4 (NTPC) दिनांक 15.09.2017 एवं 525/8–5 (NTPC) दिनांक 08.10.2021 द्वारा इस आशय से प्रेषित किया गया था कि अपर महाप्रबन्धक (तकनीकी सेवा), एन0टी0पी0सी0 से सम्पर्क कर इंगित शर्त संख्या–(iii) के अनुसार वायु प्रदूषण कम करने लिये प्लान्ट एवं समसपुर पक्षी विहार के बाहर परियोजना लागत से एक ग्रीन वेल्ट विकसित किये जाने हेतु वृक्षारोपण क्षेत्र का चयन कर ग्रीन बेल्ट का मैप योजना एवं प्राक्कलन अनुमोदनार्थ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ महोदय को प्रेषित किया जाये। कृपया अद्यतन स्थिति से इस कार्यालय को शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें ताकि इस सम्बन्ध में समीक्षा हेतु राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की शीघ्र आहूत होने वाली बैठक को यथास्थिति से अवगत कराया जा सके।

प्रतिलिपि–वन्य जीव प्रतिपालक, लुप्तप्राय परियोजना, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रकरण में व्यक्तिगत रूचि लेते हुए आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि–क्षेत्रीय वन अधिकारी, समसपुर पक्षी विहार, सलोन, रायबरेली, आपको इस कार्यालय की पत्र संख्या–506/7–4 (NTPC) दिनांक 15.09.2017, 1821/8–5 (NTPC) दिनांक 13.04.2015, 1822/8–5 दिनांक 13.04.2016 एवं 525/8–5 (NTPC) दिनांक 08.10.2021 द्वारा निर्देशित किया गया था कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित अपर महाप्रबन्धक (तकनीकी सेवा), एन0टी0पी0सी0 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, रायबरेली वन प्रभाग, रायबरेली कार्यालय से वांछित कार्यवाही कराते हुए अद्यतन स्थिति से इस कार्यालय को तत्काल अवगत करायें। परन्तु अभी तक आप द्वारा अद्यतन स्थिति से इस कार्यालय को अवगत नही कराया गया है। सम्बन्धितो से सम्पर्क कर वांछित कार्यवाही कराते हुए अद्यतन स्थिति व अनुपालन आख्या से इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध करायें।

(मनोज कुमार सोनकर)
वन संरक्षक,
लुप्तप्राय परियोजना, उ0प्र0,
लखनऊ।

O/C

# कार्यालय वन संरक्षक, लुप्तप्राय परियोजना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांक- 651 / 8-5(NTPC), लखनऊ, दिनांक, नवम्बर, 3, 2021

सेवा में,

उप महाप्रबन्धक (तकनीकी सेवाएं),
एन.टी.पी.सी. लिमिटेड,
फिरोज गाँधी ऊँचाहार थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट,
ऊँचाहार, जनपद-रायबरेली-229406 (उ0प्र0)।

विषयः जनपद रायबरेली में संरक्षित क्षेत्र समसपुर पक्षी विहार की सीमा से 10 कि0मी0 रेडियस दूरी के अन्तर्गत स्थित एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड फिरोज गाँधी थर्मल पॉवर प्लान्ट, ऊँचाहार परियोजना की क्षमता विस्तार के क्रम में 500 मेगावाट की स्थापना हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21 जनवरी, 2015 द्वारा अनुमोदन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः वरिष्ठ प्रबन्धक, पर्यावरण विभाग, फिरोज गाँधी ऊँचाहार पॉवर प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, फिरोज गाँधी ऊँचाहार थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, ऊँचाहार, जनपद-रायबरेली-229406 (उ0प्र0) का पत्रांक-ऊँचाहार/ईएमजी/G-4/2021-22 दिनांक 01.11.2021

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद रायबरेली में संरक्षित क्षेत्र समसपुर पक्षी विहार की सीमा से 10 कि0मी0 रेडियस दूरी के अन्तर्गत स्थित एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड फिरोज गाँधी थर्मल पॉवर प्लान्ट, ऊँचाहार परियोजना की 500 MW का क्षमता विस्तार का प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21 जनवरी, 2015 द्वारा उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन पत्र संख्या-F.No.6-209/2014 WL-I (32nd Meeting) दिनांक 25.02.2015 द्वारा किया गया। जिसमें इंगित शर्तों का अनुपालन की कार्यवाही ऊँचाहार परियोजना की क्षमता विस्तार के पूर्व ही किया जाना था। उक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने से विदित होता है कि भारत सरकार का राजपत्र दिनांक 26.09.2019 द्वारा जारी अधिसूचना जिसमें केन्द्र सरकार ने जिला रायबरेली समसपुर पक्षी अभ्यारण्य (इको-सेंसिटिव जोन) की सीमा के 01 किलोमीटर तक के क्षेत्र (22.84 वर्ग किमी) को इको-सेंसिटिव जोन अधिसूचित किया गया है के पूर्व ही परियोजना की क्षमता विस्तार कर उत्पादन किया जा रहा है जिसकी सूचना भी आप द्वारा इस कार्यालय को नहीं प्रेषित की गयी है, कि कब से विस्तार योजना का कार्य प्रारम्भ किया गया और कब कार्य पूर्ण हुआ तथा कब से उत्पादन किया जा रहा है यह स्थिति आपत्तिजनक है।

एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड फिरोज गाँधी थर्मल पॉवर प्लान्ट, ऊँचाहार परियोजना की क्षमता विस्तार के क्रम में 500 मेगावाट की स्थापना हेतु प्रेषित प्रस्ताव भारत सरकार का राजपत्र दिनांक 26.09.2019 द्वारा जारी अधिसूचना जिसमें केन्द्र सरकार ने जिला रायबरेली समसपुर पक्षी अभ्यारण्य (इको-सेंसिटिव जोन) की सीमा के 01 किलोमीटर तक के क्षेत्र (22.84 वर्ग किमी) को इको-सेंसिटिव जोन अधिसूचित किया है। यह प्रस्ताव लगभग 10 वर्ष पूर्व का है जिस पर राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21 जनवरी, 2015 द्वारा अनुमोदन किया गया था। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्य जीव डिवीजन), भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-F.No.6-209/2014 WL-I (32nd Meeting) दिनांक 25.02.2015 में इंगित शर्तों का अनुपालन कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व किया जाना था। दिनांक 26.09.2019 द्वारा जारी अधिसूचना के पूर्व समसपुर पक्षी अभ्यारण्य की इको-सेन्सटिव जोन की सीमा 10 कि0मी0 निर्धारित थी। पक्षी विहार की सीमा से 10 कि0मी0 रेडियस दूरी के अन्तर्गत एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड फिरोज गाँधी थर्मल पॉवर प्लान्ट, ऊँचाहार परियोजना 7.9 कि0मी0 दूरी पर स्थित है। चूंकि 01 किलोमीटर इको-सेंसिटिव जोन सितम्बर, 2019 वर्ष-2019 में लागू हुआ है व आपका प्रस्ताव पूर्व का है तथा विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आपने कार्य वर्ष 2019 के पूर्व करा लिया है। इसलिए इंगित शर्तों का अनुपालन अनिवार्य है।

अतः पुनः अनुरोध है कि विस्तार योजना का कार्य कब से प्रारम्भ किया गया और कब कार्य पूर्ण हुआ तथा कब से उत्पादन किया जा रहा है की स्थिति स्पष्ट करते हुये, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्य जीव डिवीजन), भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा लगायी गई शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन आख्या व प्रोजेक्ट लागत का 02 प्रतिशत मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उ0प्र0, लखनऊ के खाते में जमा करवाते हुए इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, अन्यथा राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के आदेशो के उल्लंघन में आपके विरूद्व कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा। आप अतिशीघ्र रिपोर्ट भेजे ताकि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की प्रस्तावित बैठक में अनुपालन आख्या/वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जा सके। विपरीत स्थिति के लिये आप जिम्मेदार होगें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सोनकर)
वन संरक्षक,
लुप्तप्राय परियोजना, उ0प्र0,
लखनऊ।

पत्रांक– 651 /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

प्रतिलिपि– महाप्रबन्धक (तकनीकी सेवाएं), एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, फिरोज गॉधी ऊँचाहार थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, ऊँचाहार, जनपद–रायबरेली–229406 (उ0प्र0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– वरिष्ठ प्रबन्धक, पर्यावरण विभाग, फिरोज गॉधी ऊँचाहार पॉवर प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, फिरोज गॉधी ऊँचाहार थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट,ऊँचाहार, जनपद–रायबरेली–229406 (उ0प्र0) को उनके पत्र संख्या–ऊँचाहार/ईएमजी/G-4/2021-22 दिनांक 01.11.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी, रायबरेली वन प्रभाग, रायबरेली को उक्त संदर्भित पत्र के कम में जो कि आपको भी पृष्ठांकित है, इस आशय से प्रेषित कि उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि नियमित पौधारोपण का कार्य प्लांट के चारो तरफ तथा आस–पास के क्षेत्र में वन विभाग की मदद से किया जाता है, के सम्बन्ध में अपनी सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–वन्य जीव प्रतिपालक, लुप्तप्राय परियोजना, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रकरण में व्यक्तिगत रूचि लेते हुए आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि–क्षेत्रीय वन अधिकारी, समसपुर पक्षी विहार, सलोन, रायबरेली, आपको निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धितो से सम्पर्क कर वांछित प्रोजेक्ट की धनराशि जमा कराने की कार्यवाही कर अद्यतन स्थिति व अनुपालन आख्या से इस कार्यालय को तत्काल अवगत करायें।

(मनोज कुमार सोनकर)
वन संरक्षक,
लुप्तप्राय परियोजना, उ0प्र0,
लखनऊ।

O/C

Lalit
03/11/2021

# कार्यालय वन संरक्षक, लुप्तप्राय परियोजना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांक– 715 / 8–5(NTPC)

सेवा में,

लखनऊ, दिनांक, नवम्बर, 16 ,2021

महाप्रबन्धक (तकनीकी सेवाएं),
एन.टी.पी.सी. लिमिटेड,
फिरोज गॉधी ऊँचाहार थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट,
ऊँचाहार, जनपद–रायबरेली–229406 (उ0प्र0)।

विषयः जनपद रायबरेली में संरक्षित क्षेत्र समसपुर पक्षी विहार की सीमा से 10 कि0मी0 रेडियस दूरी के अन्तर्गत स्थित एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड फिरोज गॉधी थर्मल पॉवर प्लान्ट, ऊँचाहार परियोजना की क्षमता विस्तार के क्रम में 500 मेगावाट की स्थापना हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21 जनवरी, 2015 द्वारा अनुमोदन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय की पत्र संख्या–2566/26–11 (NTPC) दिनांक 06.04.2016, पत्र संख्या–2247/26–11 (NTPC) दिनांक 17.02.2017, पत्र संख्या–927/26–11 (NTPC) दिनांक 08.09.2017, एवं इस कार्यालय की पत्र संख्या–506/7–4 (NTPC) दिनांक 15.09.2017 525/8–5 (NTPC) दिनांक 08.10.2021, 549/8–5 (NTPC) दिनांक 18.10.2021एव 651/8–5 (NTPC) दिनांक 03.11.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदभित पत्रों द्वारा उप महाप्रबन्धक (तकनीकि सेवाऐं) एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड फिरोज गॉधी थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, ऊँचाहार, जनपद रायबरेली से विषयगत प्रकरण में जनपद रायबरेली में संरक्षित क्षेत्र समसपुर पक्षी विहार की सीमा से 10 कि0मी0 रेडियस दूरी के अन्तर्गत स्थित एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड फिरोज गॉधी थर्मल पॉवर प्लान्ट, ऊँचाहार परियोजना की 500 MW का क्षमता विस्तार की स्थापना हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21 जनवरी, 2015 द्वारा उक्त प्रस्ताव का पत्र संख्या–F.No.6-209/2014 WL-I (32nd Meeting) दिनांक 25.02.2015 द्वारा अनुमोदन किया गया, जिसमें इंगित शर्तों का अनुपालन की कार्यवाही ऊँचाहार परियोजना की क्षमता विस्तार के पूर्व ही किया जाना था। जिस पर अभी तक उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

वरिष्ठ प्रबन्धक, पर्यावरण विभाग, फिरोज गॉधी थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, उ0प्र0, एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड, जनपद रायबरेली–229406 ने अपने पत्र संख्या–ऊँचाहार/ईएमजी/जी–4/2021–22, दिनांक 01.11.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार का राजपत्र दिनांक 26.09.2019 द्वारा जारी अधिसूचना जिसमें केन्द्र सरकार ने जिला रायबरेली समसपुर पक्षी अभ्यारण्य (इको–सेसिटिव जोन) की सीमा के 01 किलोमीटर तक के क्षेत्र (22.84 वर्ग किमी) को ईको–सेसिटिव जोन अधिसूचित किया गया है, जारी गजट अधिसूचना के अनुसार एन0टी0पी0सी0, ऊँचाहार, ईको सेन्सिटिव जोन के अन्तर्गत नहीं आता है। इस लिए परियोजना लागत का 2 प्रतिशत एन0टी0पी0सी0, ऊँचाहार पर लागू नहीं होता है।

उक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट है कि यह प्रस्ताव लगभग 10 वर्ष पूर्व दिनांक 13.12.2010 का है, जिस पर राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी बैठक दिनांक 21 जनवरी, 2015 द्वारा अनुमोदन किया गया था। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्य जीव डिवीजन), भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–F.No.6-209/2014 WL-I (32nd Meeting), दिनांक 25.02.2015 में इंगित शर्तो का अनुपालन किया जाना था। दिनांक 26.09.2019 द्वारा जारी अधिसूचना के पूर्व समसपुर पक्षी अभ्यारण्य की ईको–सेन्सटिव जोन की सीमा 10 किमी0 निर्धारित थी। पक्षी विहार की सीमा से 10 कि0मी0 रेडियस दूरी के अन्तर्गत एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड फिरोज गॉधी थर्मल पॉवर प्लान्ट, ऊँचाहार परियोजना 7.9 कि0मी0 दूरी पर स्थित है। चूँकि 01 किलोमीटर ईको–सेसिटिव जोन माह सितम्बर, 2019 में लागू हुआ है, विश्वस्त सूत्रों से यह भी ज्ञात हुआ है कि क्षमता विस्तार का प्रस्तावित कार्य वर्ष 2019 के पूर्व करा लिया है व राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा लगाई गयी शर्तो का अनुपालन नहीं किया गया। इसकी सूचना भी एन0टी0पी0सी0 द्वारा इस कार्यालय को नहीं प्रेषित की गयी है, कि कब से विस्तार योजना का कार्य प्रारम्भ किया गया और कब कार्य पूर्ण हुआ तथा कब से उत्पादन किया जा रहा है व इसमें शर्तो के अनुपालन की स्थिति से भी अवगत नहीं कराया गया है, यह आपत्तिजनक है तथा राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा दिये गये

निर्देशों का घोर उल्लंघन है। आपका प्रस्ताव 10 वर्ष पूर्व का है। इसलिए शर्तों का अनुपालन आप द्वारा किया जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि विस्तार योजना का कार्य कब से प्रारम्भ किया गया और कब कार्य पूर्ण हुआ एवं कब से उत्पादन किया जा रहा है, की स्थिति स्पष्ट करते हुए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्य जीव डिवीजन), भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा लगाई गयी शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन आख्या व प्रोजेक्ट लागत का 02 प्रतिशत मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उ0प्र0, लखनऊ के खाते में अतिशीघ्र जमा करवाते हुए इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, अन्यथा राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के आदेशों के उल्लंघन में एन0टी0पी0सी0, ऊँचाहार के विरूद्ध वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा। आप अतिशीघ्र रिपोर्ट भेजें ताकि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की प्रस्तावित बैठक में अनुपालन आख्या/वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जा सके। विपरीत स्थिति के लिए आप पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

भवदीय,

(मनोज कुमार सोनकर)
वन संरक्षक,
लुप्तप्राय परियोजना, उ0प्र0,
लखनऊ।

पत्रांक- 719 /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

प्रतिलिपि- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, एन.टी.पी.सी. भवन, स्कोप काम्पलेक्स, 7, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- उप महाप्रबन्धक (तकनीकी सेवाएं), एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, फिरोज गाँधी ऊँचाहार थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, ऊँचाहार, जनपद-रायबरेली-229406 (उ0प्र0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- वरिष्ठ प्रबन्धक, पर्यावरण विभाग, फिरोज गाँधी ऊँचाहार पॉवर प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, फिरोज गाँधी ऊँचाहार थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट,ऊँचाहार, जनपद-रायबरेली-229406 (उ0प्र0) को उनके पत्र संख्या-ऊँचाहार/ईएमजी/G-4/2021-22 दिनांक 01.11.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-प्रभागीय वनाधिकारी, रायबरेली वन प्रभाग, रायबरेली को इस आशय से प्रेषित कि एन0टी0पी0सी0, ऊँचाहार द्वारा नियमित पौध रोपण का कार्य प्लान्ट के चारों तरफ तथा आस-पास के क्षेत्र में आपके प्रभाग की मदद् से किया जाता है, के सम्बन्ध में आपकी सुस्पष्ट आंख्या उपलब्ध कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-वन्य जीव प्रतिपालक, लुप्तप्राय परियोजना, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रकरण में व्यक्तिगत रूचि लेते हुए आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि-क्षेत्रीय वन अधिकारी, समसपुर पक्षी विहार, सलोन, रायबरेली, आपको निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित से सम्पर्क कर वांछित कार्यवाही कराते हुए अद्यतन स्थिति व अनुपालन आख्या से इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध करायें।

(मनोज कुमार सोनकर)
वन संरक्षक,
लुप्तप्राय परियोजना, उ0प्र0,
लखनऊ।

O/c

I:\wild life clearance unchahar\General Letters.doc

Email 19

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांक– 1655 / 8–5(NTPC)　　　　　　　　लखनऊ, दिनांक, अप्रैल, 08 ,2022

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
उ0प्र0, लखनऊ ।

विषयः Withdrawn of the condition imposed by SCNBWL while recommending a project-The Feroz Gandhi unchahar Thermal Power Project, Stage-IV(1x500 MW)-reg.

सन्दर्भः आपके कार्यालय की पत्र संख्या–2656 / 26–11 (वन्य जीव क्लीयरेन्स प्रकरण / एन0टी0पी0सी0 लि0, ऊँचाहार क्षमता विस्तार परि0) दिनांक 30.03.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि जनपद रायबरेली में संरक्षित क्षेत्र समसपुर पक्षी विहार की सीमा से 10 कि0मी0 रेडियस दूरी के अन्तर्गत एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड फिरोज गाँधी थर्मल पॉवर प्लान्ट, ऊँचाहार परियोजना 7.9 कि0मी0 दूरी पर स्थित है। एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड फिरोज गाँधी थर्मल पॉवर प्लान्ट, ऊँचाहार परियोजना की 500 MW का क्षमता विस्तार की स्थापना हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21 जनवरी, 2015 द्वारा उक्त प्रस्ताव का पत्र संख्या–F.No.6-209/2014 WL-I (32nd Meeting) दिनांक 25.02.2015 द्वारा अनुमोदन किया गया था। जिसमें इंगित शर्तों के अनुपालन की कार्यवाही ऊँचाहार परियोजना की क्षमता विस्तार के पूर्व ही किया जाना था। शर्तों के अनुपालन हेतु आपके कार्यालय की पत्र संख्या–2566 / 26–11 (NTPC) दिनांक 06.04.2016, पत्र संख्या–2247 / 26–11 (NTPC) दिनांक 17.02.2017, पत्र संख्या–927 / 26–11 (NTPC) दिनांक 08.09.2017, द्वारा अपर महा प्रबन्धक, (तकनीकी सेवायें) एवं उप महा प्रबन्धक, (तकनीकी सेवायें) एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड फिरोज गाँधी थर्मल पॉवर प्लान्ट, ऊँचाहार जनपद–रायबरेली को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्य जीव डिवीजन), भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–F.No.6-209/2014 WL-I (32nd Meeting) दिनांक 25.02.2015 में इंगित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु संसूचित करते हुए अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

उक्त प्रकरण में लगभग 05 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने एवं वर्ष–2017 में परियोजना की क्षमता विस्तार का पूर्ण किये जाने के पूर्व ही एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड फिरोज गाँधी थर्मल पॉवर प्लान्ट, ऊँचाहार, रायबरेली के स्तर से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्य जीव डिवीजन), भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–F.No.6-209/2014 WL-I (32nd Meeting) दिनांक 25.02.2015 में निम्न इंगित शर्तों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित था:–

- Ash water effulent must be treated to avoid pollution.
- The effluent shall not be released in pratapgarh branch of Sahayak Canal which is connected to Samaspur Bird Sanctuary.
- A greenbelt should be developed around the plant and outside Samasput Bird Sanctuary at the project cost to abate air pollution. Planting site for this purpose shall be identified by concerned DFO/Protected Area Manager.
- The user agency shall be responsible for any loss of flora/fauna in the surroundings.
- Any other condition prescribed by Chief Wildlife Warden from time to time in the interest of conservation protection/development of forest/Wildlife habitat.

After discussions, the Standing Committee recommended the proposal subject to implementation of mitigation measures and the conditions stipulated by the CWLW and Environment Clearance obtained under E(P)A, 1986 and EIA Notification 2006, for which an amount of 2% of the project cost shall be placed with the Chief Wildlife Warden by the user agency.

उपरोक्त शर्तो के अनुपालन हेतु इस कार्यालय की पत्र संख्या–506 / 7–4 (NTPC) दिनांक 15.09.2017, 525 / 8–5 (NTPC) दिनांक 08.10.2021, 549 / 8–5(NTPC) दिनांक 18.10.2021, 651 / 8–5 (NTPC) दिनांक 03.11. 2021, 715 / 8–5 (NTPC) दिनांक 16.11.2021, एव 1010 / 8–5 (NTPC) दिनांक 29.12.2021 द्वारा भी अपर महा प्रबन्धक, (तकनीकी सेवायें) एवं उप महा प्रबन्धक, (तकनीकी सेवायें) एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड फिरोज गाँधी थर्मल पॉवर प्लान्ट, ऊँचाहार जनपद–रायबरेली से अनुरोध किया जा चुका है। इस प्रकरण में दिनांक 26.11.2021 को अधेहरताक्षरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड फिरोज गाँधी थर्मल पॉवर प्लान्ट, ऊँचाहार जनपद–रायबरेली संस्था के प्रतिभागी श्री एस0के0 पाठक, ए0जी0एम0, श्री विपुल श्रीवास्तव, डी0जी0एम0 एवं श्री

...नन्द सी0 लोहकर, ए0जी0एम0 द्वारा अवगत कराया गया कि क्षमता विस्तार का कार्य 2017 में पूर्ण कर लिया गया था। ऐसी स्थिति में कार्य पूर्ण होने के पूर्व ही भारत सरकार के पत्र दिनांक 25.02.2015 में इंगित शर्तों के अनुपालन की कार्यवाही सुनिश्चित कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना था परन्तु एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड फिरोज गॉधी थर्मल पॉवर प्लान्ट, ऊँचाहार जनपद–रायबरेली द्वारा भारत सरकार के पत्र दिनांक 25.02.2015 में इंगित शर्तो का अनुपालन नही किया गया। यहॉ यह भी अवगत कराना है, कि भारत सरकार की पत्र संख्या–1-9/2007 WL-I dated 31.07.2013 (संलग्न) के अनुसार जब तक ईको–सेसिटिव जोन की विज्ञप्ति नहीं होता है तब तक उक्त क्षेत्र में 10 किमी0 तक का ईको–सेसिटिव जोन माना जाता है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21 जनवरी, 2015 द्वारा उक्त प्रस्ताव का पत्र संख्या–F.No.6-209/2014 WL-I (32nd Meeting) दिनांक 25.02.2015 द्वारा अनुमोदन उक्त क्षेत्र का 10 किमी0 तक ईको–सेंसिटिव जोन मानते हुए किया गया था, जिसमें इंगित शर्तों का अनुपालन तत्समय ही किया जाना अपेक्षित था परन्तु एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड फिरोज गॉधी थर्मल पॉवर प्लान्ट, ऊँचाहार जनपद–रायबरेली द्वारा राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की शर्तो का उल्लघन करते हुये क्षमता विस्तार का कार्य वर्ष– 2017 में पूर्ण कर लिया गया। जिस कारण विपरीत परिस्थितियॉ उत्पन्न हुई है। क्षमता विस्तार का कार्य वर्ष–2017 में पूर्ण कर लिये जाने के उपरान्त 01 किलोमीटर ईको–सेसिटिव जोन माह सितम्बर, 2019 में लागू हुआ है।

चूँकि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड फिरोज गॉधी थर्मल पॉवर प्लान्ट, ऊँचाहार के क्षमता विस्तार कार्य के प्रस्ताव का अनुमोदन वर्ष–2015 में किया गया है, तब ईको–सेसिटिव जोन का क्षेत्र 10 किमी0 था। एन0टी0पी0सी0 10 किमी0 की परिधि के अन्तर्गत स्थित था। अतः राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्य जीव डिवीजन), भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा लगाई गयी शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन व प्रोजेक्ट लागत का 02 प्रतिशत की धनराशि एन0टी0पी0सी0, ऊँचाहार द्वारा जमा किया जाना अनिवार्य है।

महोदय की सेवा में उपरोक्तानुसार आख्या सादर प्रेषित।

भवदीय,

(मनोज कुमार सोनकर)
वन संरक्षक,
लुप्तप्राय परियोजना, उ0प्र0,
लखनऊ।

O/c

Email



DM

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रसंख्या-204/26-11 ([illegible]) लखनऊः दिनांकः जुलाई 28 2022

सेवा में,

मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी सेवाएं),
एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड,
फिरोज गांधी ऊँचाहार थर्मल पावर प्रोजेक्ट,
ऊँचाहार, जनपद-रायबरेली-229406 (उ0प्र0)

204
02/08/22

विषयः- जनपद-रायबरेली में संरक्षित क्षेत्र समसपुर पक्षी विहार की सीमा से 10 किमी0 रेडियस दूरी के अन्तर्गत स्थित एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड, फिरोज गांधी थर्मल पावर प्लान्ट, ऊँचाहार परियोजना की क्षमता विस्तार के क्रम में 500 मेगावाट की स्थापना हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.01.2015 द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः- 1-पर्यावरण ,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, (वाइल्ड डिवीजन), भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक-F.No. 6-209/2014-WL (32nd Meeting), दिनांक 25.02.2015

2-इस कार्यालय का पत्रांक-3259/26-11 (NTPC), दिनांक 20.03.2015, पत्रांक-2566/26-11 (NTPC), दिनांक 06.04.2016, पत्रांक-2247/26-11 (NTPC), दिनांक 17.02.2017, पत्रांक-927/26-11 (NTPC), दिनांक 08.09.2017 तथा पत्रांक-2207/26-11 (NTPC), दिनांक 07.01.2022

3-वन संरक्षक, लुप्तप्राय परियोजना, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक-651/8-5 (NTPC), दिनांक 03.11.2021, पत्रांक-715/8-5 (NTPC), दिनांक 16.11.2021 एवं पत्रांक-154/8-5 (NTPC), दिनांक 27.07.2022

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयक परियोजना प्रस्ताव पर राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की 32वीं बैठक दिनांक 21.01.2015 में मा0 बोर्ड द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदन प्रदान किया गया:-

Chief Wildlife Warden explained that application for Terms of Reference for EIA study for stage IV has been submitted to MoEF. SBWL recommended that the proposal in its meeting held on 21 October 2013 with stipulated conditions:

- Ash water effluent must be treated to avoid pollution.
- The effluent shall not be released in Pratapgarh Branch of Sahayak canal which isconnected to Samaspur Bird Sanctuary.
- A greenbelt should be developed around the plant and outside Samaspur Bird Sanctuary at the project cost to abate air pollution. Planting site for this purpose shall be identified by concerned DFO/protected area manager.
- The user agency shall be responsible for any loss of flora/fauna in the surroundings.
- Any other condition prescribed by Chief Wildlife Warden from time to time in the interest of conservation, protection /development of forest /wildlife habitat.

DM
CF 29/7/22

After discussions, the Standing Committee recommended the proposal subject to implementation of mitigation measures and the conditions stipulated by the CWLW and Environment Clearance obtained under E (P) A, 1986 and EIA Notification 2006, for which an amount of 2% of the project cost shall be placed with the Chief Wild Life Warden by the user agency.

Email
22

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, (वाइल्ड डिवीजन), भारत सरकार, नई दिल्ली के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 25.02.2015 द्वारा बैठक का कार्यवृत्त जारी किया गया। प्रश्नगत परियोजना समसपुर पक्षी विहार एवं उसके ईको सेन्सिटिव जोन की सीमा से 7.9 KM दूरी पर स्थित होने के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा लगायी गयी शर्त **"The Standing Committee recommended the proposal subject to implementation of mitigation measures and the conditions stipulated by the CWLW and Environment Clearance obtained under E (P), 1986 and EIA Notification 2006, for which an amount of 2% of the project cost shall be placed with the Chief Wild Life Warden by the user agency."** के क्रम में परियोजना की लागत का 2% धनराशि जमा किए जाने हेतु इस कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों द्वारा आपसे अनुरोध किया गया है। परन्तु उक्त अनुरोध के क्रम में आप द्वारा वन विभाग के पक्ष में अब तक कोई भी धनराशि जमा नही करायी गयी है तथा परियोजना के क्षमता विस्तार का कार्य वर्ष 2017 में पूर्ण कर लिया गया है। इस प्रकार आप द्वारा SCNBWL द्वारा अधिरोपित उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न कर मा0 राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति के द्वारा लिए गए निर्णयों का उल्लंघन किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा लगायी गयी उपरोक्त शर्तों का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित कराते हुए परियोजना की लागत का 2% देय धनराशि कैम्पा फण्ड के मद संख्या–06, "Additional charges for protected area" के अन्तर्गत ऑनलाइन जमा कराने का कष्ट करें।

उक्त पत्र प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ से आज दिनांक 28.07.2022 को दूरनाष पर हुयी वार्ता में दिए गए निर्देशों के क्रम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

28.07.22

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रसंख्या– 284 /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, लुप्तप्राय परियोजना, उ0प्र0, लखनऊ।
2. प्रभागीय निदेशक, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग, रायबरेली।

28.07.22

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

D:\Suraj Mishra\O.P. Sir\General Letter\Letter 2022.docx

# कार्यालय वन संरक्षक, लुप्तप्राय परियोजना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांक– 1422 / 8–5(NTPC) लखनऊः दिनांकः मार्च, 26 ,2024

सेवा में,

मुख्य महाप्रबंधक,
एन.टी.पी.सी. लिमिटेड,
फिरोज गॉधी ऊँचाहार थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट,
ऊँचाहार, जनपद–रायबरेली–229406 (उ0प्र0)।

**विषयः** जनपद रायबरेली में संरक्षित क्षेत्र समसपुर पक्षी विहार की सीमा से 10 कि0मी0 रेडियस दूरी के अन्तर्गत स्थित एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड फिरोज गॉधी थर्मल पॉवर प्लान्ट, ऊँचाहार परियोजना की क्षमता विस्तार के क्रम में 500 मेगावाट की स्थापना हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21 जनवरी, 2015 द्वारा अनुमोदन के सम्बन्ध में।

**सन्दर्भः** प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय की पत्र संख्या–2273/26–11 (वन्य जीव क्लीयरेंस प्रकरण/ एन0टी0पी0सी0 लि0, ऊँचाहार क्षमता विस्तार परि0) दिनांक 28.02.2024,

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद रायबरेली में संरक्षित क्षेत्र समसपुर पक्षी विहार की सीमा से 10 कि0मी0 रेडियस दूरी के अन्तर्गत स्थित एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड फिरोज गॉधी थर्मल पॉवर प्लान्ट, ऊँचाहार परियोजना की 500 MW का क्षमता विस्तार की स्थापना हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21 जनवरी, 2015 द्वारा उक्त प्रस्ताव का पत्र संख्या–F.No.6-209/2014 WL-I (32nd Meeting) दिनांक 25.02.2015 द्वारा अनुमोदन किया गया था। जिसमें इंगित शर्तो के अनुपालन की कार्यवाही ऊँचाहार परियोजना की क्षमता विस्तार के पूर्व ही किया जाना था। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्य जीव डिवीजन), भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा लगाई गयी शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन आख्या व प्रोजेक्ट लागत का 02 प्रतिशत मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उ0प्र0, लखनऊ के खाते में तत्समय ही जमा करवाना था। परन्तु राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के आदशों का अभी तक आप द्वारा अनुपालन नही किया गया है। आपने अपने कार्यालय की पत्र सं0–एन0टी0पी0सी0 /ऊँचाहार/ ई0एम0जी0/G–4/ 2021–22 /01 /3145 दिनांक–21.01.2022 द्वारा अवगत कराया था, कि प्रोजेक्ट की लागत का 2 प्रतिशत धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की 32वीं बैठक दिनांक–21.01.2015 के निर्णय पर पुर्नविचार हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति (SC-NBWL) की दिनांक–29.08.2023 को सम्पन्न 74वीं बैठक के विचारार्थ प्रस्तुत हुआ था उक्त के क्रम मे भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्य जीव प्रभाग) इन्दिरा पर्यावरण, जोरबाग रोड, नई दिल्ली का पत्रांक–F.No.6-11/2014 WL दिनांक–29.09.2023 के माध्यम से मा0 बोर्ड द्वारा बैठक में लिए गये निर्णय/निर्देश के अनुपालन हेतु निम्न निर्देश दिया गया है:–

"After discussions, the standing committee decided not to accept the request of the NTPC and action for violation of the condition of the imposed by the standing committee shall be taken by the integrated regional office, lucknow."

अतः भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्य जीव प्रभाग), इन्दिरा पर्यावरण, जोरबाग रोड, नई दिल्ली का पत्रांक–F.No.6-11/2014 WL दिनांक–29.09.2023 की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की 32वीं बैठक दिनांक 21 जनवरी, 2015 व राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्य जीव डिवीजन), भारत सरकार, नई दिल्ली पत्र संख्या–F.No.6-209/2014 WL-I (32nd Meeting) दिनांक 25.02.2015 में इंगित शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन करवाते हुये प्रोजेक्ट लागत का 02 प्रतिशत मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उ0प्र0, लखनऊ के खाते में जमा करवाने का कष्ट करें तथा अनुपालन आख्या से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,

(मनोज कुमार सोनकर)
वन संरक्षक,
लुप्तप्राय परियोजना, उ0प्र0,
लखनऊ।

O/c